फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाशचन्द्र | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 92/24**

जीसीएमएस : 2024/363

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 09.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट अनुसार तरमीम किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 20.12.2013 विक्रय से आराजी नम्बर 406 मी. रकबा 3.07 बीघा में सज्जाद हुसैन पिता अल्लानुर खा जाति मुसलमान 1/2 खातेदार बजाय कैलाशचन्द्र, बया पिता दोलतबाग बया 1/2 दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 14.02.13 को विक्रय से 406 मी. रकबा 3.07 बीघा में विजयसिंह पिताा हेमसिंह 1/2 राजपूत के बजाय हेमलता पत्नी दिनेश चन्द्र 1/2 ब्रा. दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 28.07.21 नामान्तरकरण प्रकार विभाजन से खाता संख्या 9 आराजी नम्बर 406 क्षेत्रफल 0.5423 हेक्टेयर किस्म बंजड खातेदार हेमलता पत्नी दिनेशचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति ब्रा., खातेदार कैलाशचन्द्र पिता दौलतसिंह हिस्सा 1/2 जाति बया, तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./2021/31 दिनांक 15.07.21 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज हुआ। उक्त विभाजन नामान्तरकरण दिनांक 29.07.2021 को स्वीकृत हुआ। विभाजन नामान्तरकरण संख्या 177 में प्रस्तुत बंटवारा फेहरिस्त अनुसार 406/1 आराजी नम्बर (बंटवारा में प्रस्तावित) हाल आराजी नम्बर 2674/406 खातेदार कैलाशचन्द्र पिता दोलतबाग के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई एवं 406/2 खातेदार हेमलता पत्नी दिनेश चन्द्र ब्रा. के नाम दर्ज स्वीकृति हुई। वक्त सेग्रीगेशन पूर्व आराजी नम्बर 406/1 हाल नम्बर 2674/406 त्रुटिवश नक्शें में पूर्व आराजी नम्बर 406/2 हाल नम्बर 2675/406 की जगह दर्ज हो गया हैं। दोनो विभाजित आराजी नम्बर 2674/406 व 2675/406 त्रुटि होने की वजह से गलत दर्ज हो गए। आराजी नम्बर 2674/406 की जगह 2675/406 एवं आराजी नम्बर 2675/406 के बजाय 2674/406 करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested

अपेक्षित हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के मूल आराजी नम्बर 406 थे जिनका सहमति विभाजन प्रार्थी कैलाशचन्द्र व हेमलता द्वारा करवाया गया। सहमति विभाजन अनुसार वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तरकरण दर्ज हुई परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान हेमलता की भूमि के स्थान पर कैलाश चन्द्र की भूमि एवं कैलाशचन्द्र की भूमि के स्थान पर हेमलता की भूमि नक्शें में तरमीम कर दी गई जो न्यायोचित नहीं हैं। अतः प्रकरण में वर्णित आराजीयात की तरमीम सहमति विभाजन अनुसार तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खादरा पटवार हल्का नउवा तहसील घासा की आराजी नम्बर 2674/406 एवं 2675/406 की तरमीम सहमति विभाजन के आधार पर तहसीलदार घासा से प्रस्तावित नक्शे अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। नक्शा ट्रेस पत्रावली का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(**रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested